फर्द अहकाम

( नियम 26)

# अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

## जिला हनुमानगढ

अमीलाल बनाम मीरादेवी

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 223 सन–2022

| तरीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज | नम्बर व तारिख |
|---|---|---|
| 15.03.2022 | वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.04.2022 को पेश हो। | |
| 18/3/22 | उपस्थित वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से [illegible] शर्मा अधिवक्ता उपस्थित वकालतनामा पेश कर वादी के वाद का [illegible] जवाब पेश किया पत्रावली जवाब [illegible] वादी हेतु दिनांक 1.6.22 को पेश हो | |
| 1/4/22 | वकलाय फरीकैन उपस्थित [illegible] पेश किया साक्ष्य वादी में [illegible] पेश किया [illegible] चाहा पत्रावली वास्ते बहस 6/4/22 को पेश हो | |
| 6/4/22 | वकलाय फरीकैन उपस्थित बहस सुनी [illegible] समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस दि 18/4/22 को पेश हो | |
| 18/4/22 | वकलाय फरीकैन उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 2/5/22 को पेश हो | |
| 2/5/22 | वकलाय फरीकैन उपस्थित वादी का वाद [illegible] के आधार पर [illegible] निर्णय [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो | |

Scanned with CamScanner

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

[illegible] अधिकारी का नाम : [illegible]

वाद सं. : 220 सन 2022

उनवान :—

1. [illegible] पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी [illegible] तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. [illegible] पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी [illegible] तहसील नोहर।
2. [illegible] पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी [illegible] तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री [illegible] कुमार [illegible] अधिवक्ता वादी

[illegible]

निर्णय दिनांक :— [illegible]

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि रोही मौजा [illegible] के खाता संख्या 48/32 की कुल [illegible] व रोही मौजा [illegible] के खाता संख्या 26/26 की कुल [illegible] भूमि मुतालका खाता में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं ओमप्रकाश के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा [illegible] के खाता संख्या [illegible]/170 की कुल [illegible] में से [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हनुमान पुत्र [illegible] के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर आपसी सहमति से किये गये बटवारा में वाद भूमि वादी के भाई ओमप्रकाश की पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई है।

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसका आपसी सहमति से पारिवारिक समझौता बाहमी बटवारा किया गया जिसमें रोही मौजा [illegible] की कुछ भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने पारिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं परिवार की अन्य भूमियों के साथ हुए पारिवारिक समझौता में वादी को प्राप्त भूमि वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज [illegible] वल्द [illegible] के देहान्त होने पर पारिवारिक समझौता के अनुसार दर्ज हुई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एक ही परिवार के सदस्य है वाद भूमि एवं अन्य भूमियों के साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के साथ पारिवारिक समझौता के अनुसार बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें रोही मौजा [illegible] की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है पारिवारिक समझौता/बाहमी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बटवारा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 48/32 की कुल 7.018हैव व रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 26/26 की कुल 3.3130हैव भूमि मुश्तरका खाता में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 एवं ओमप्रकाश के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 166/170 की कुल 5.060हैव में से 5.060हैव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हडमान पुत्र बुधर के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर आपसी सहमति से किये गये बटवारा में वाद भूमि वादी के भाई ओमप्रकाश की पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई है।

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसका आपसी सहमति से परिवारिक समझौता बाहमी बटवारा किया गया जिसमें रोही मौजा मिनकदेसर की कुछ भूमि वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 को प्राप्त हुई है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने परिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 48/32 की कुल 7.018हैव व रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 26/26 की कुल 3.3130हैव भूमि मुश्तरका खाता में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 एवं ओमप्रकाश के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 166/170 की कुल 5.060हैव में से 5.060हैव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया गया था परिवारिक समझौता में रोही मौजा मिनकदेसर की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज में से कुछ भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई थी जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 के निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा में रोही मौजा मिनकदेसर की जो भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है उसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 166/170 की कुल 5.060हैव भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से 1.265हैव भूमि का वादी एवं 0.6325हैव भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. अमीलाल पुत्र हडमान जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मीरादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. जय नारायण पुत्र हडमान जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 223 सन 2022 निर्णय दिनांक–** 02/05/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 166/170 की कुल 5.060हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से 1.265हैक भूमि का वादी एवं 0.6325हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/05/2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner